न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री पंकज शर्मा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्याः— 99/2017 प्रा0 पत्र

1. श्रीमती मुन्नी बाई पुत्री भगवाना काछी निवासी केली, हाल पति भगतराम काछी, आयु वयस्क, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री भगवाना काछी, निवासी केली हाल पति मदनलाल काछी, निवासी पायरी, तहसील निम्बाहेड़ा।

— प्रार्थीगण

//बनाम//

1. मु. नाराणी पिता भगवाना काछी पति पन्नालाल काछी, निवासी केली।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (उप पंजीयक), निम्बाहेड़ा।

— विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0का0अधि0

श्री रामचन्द्र धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 10.02.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण की संयुक्त पैतृक आराजीयात वाके मौजा केली की खाता संख्या 294 की आराजी नं. 1924 रकबा 0.7500 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 296 की आराजी नं. 1690, 1699, 1958, 1962, 1969, 2292 कुल किता 6 कुल रकबा 5.4800 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण व विपक्षीगण का पृथक पृथक व संयुक्त कब्जा काश्त की होकर विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण व विपक्षी के परिवार के मूल पुरूष भगवाना जी हुए। उनके एक मात्र वारिस उनकी पुत्री नाराणी हुई जो विपक्षी संख्या 1 है। इनका विवाह बाल्यावस्था में पन्नालाल जी के साथ हुआ। विवाह के बाद नारायणी व पन्नालाल गांव केली में ही अपने पिता व ससुर के साथ रह कर समस्त चल अचल जायदाद आराजीयात का उपयोग उपभोग करने लगे तथा सारा सामाजिक कार्यक्रम दिवंगत भगवाना जी का प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के माता पिता द्वारा ही निष्पादित किया गया था। उसके बाद से ही उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षी नाराणी उर्फ नारायणी के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। प्रार्थीगण का इसमें बाई बर्थ 2/6 हक हिस्सा है। इसी अनुसार काबिज काश्त है। विपक्षीया को इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो विपक्षी इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति होगी तथा वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जाएगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि पर विपक्षीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम केली की खाता संख्या 294 व 296 की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें विपक्षी संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण ने रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही है परन्तु सम्पत्ति के पैतृक होने की स्थिति में प्रार्थीगण का जन्म से हित बन सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण माना जा सकता है। पैतृक सम्पत्ति में बगैर हक हिस्से निर्धारित किये किसी प्रकार का हस्तान्तरण किये जाने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थीगण मौके पर अपना कब्जा बताते हैं। अजनबी क्रेता के आने से अधिकतम असुविधा अन्य सहकृषकों को ही होगी। विपक्षीगण के बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से भी प्रार्थीगण के कथनों को बल मिलता है। पक्षकारों के हक हिस्सों का निर्धारण तो मूल वाद में साक्ष्य व गवाही के उपरान्त गुण अवगुण के आधार पर ही तय किया जा सकेगा, तब तक प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार के संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु विवादित भूमि पर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक विवादित आराजीयात मौजा केली की खाता संख्या 294 की आराजी नं. 1924 रकबा 0.7500 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 296 की आराजी नं. 1690, 1699, 1958, 1962, 1969, 2292 कुल किता 6 कुल रकबा 5.4800 हैक्टेयर भूमि की मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 10.02.2020 को सरे ईजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 15:02:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: